to find out the drawbacks and to bring about improvement in its working ?

THE MINISTER OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (DR. V. K. R. V. RAO) : (a) and (b). The Government has not made any general assessment of the working of the National Research Development Corporation. The Board of Directors of the Corporation, in pursuance of a resolution passed at the General Body Meeting held on 31-12-1966. reviewed in 1967, the working of the Corporation with a view to making it a more effective instrument of research and development and made the following recommendations :

(i) For professional assessment National Research Development Corporation may constitute Technical Advisory Committees in specific fields and region-wise :

(ii) Market Survey reports or Project reports may be prepared in particular cases by NRDC or by some competent authority ;

(iii) Preference may be given to the issue of non-exclusive licences ;

(iv) NRDC should put up pilot plants at its own cost or in collaboration with industry to take up the process from the laboratory stage. This should be done after the techno-economic feasibility is assessed ;

(v) NRDC should provide risk capital ;

(vi) In suitable cases NRDC may consider compensating entreprenuers against losses suffered by them ;

(vii) NRDC should lay emphasis on giving more publicity to the processes developed in National Laboratories and its activities ;

(viii) Executive Director may be recruited at the earliest.

(c) No, Sir.

एक फ्रांसीसी राष्ट्रीक की गिरफ्तारी

9031. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 में में एक फ्रांसीसी राष्ट्रिक को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह हुसैनीवाला के मार्ग से पाकिस्तानी क्षेत्र से भारत के क्षेत्र में दाखिल हो रहा था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). एक फ्रांसीसी राष्ट्रिक मिस्टर डेस्को जीन लुइस को 30-12-1968 को हुसैनीवाला सीमा पर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसके पास ड़ेढ़ किलोग्राम निषिद्ध चरस पाया गया । उस पर मुकदमा चलाया गया, सिद्धदोष किया गया और न्यायालय के उठने तक के कारावास की सजा दी गई और 300 रुपये का जुर्माना या उसके न देने पर साठ दिन की कड़ी कैद दी गई । उसने जुर्माना दे दिया और 6-2-1969 को उसे पाकिस्तान वापस भेज दिया गया ।

पाकिस्तानियों द्वारा पशुओं की चोरी

9032. **श्री भारत सिंह चौहान :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अपने स्रोतों की जानकारी के अनुसार गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू तथा काश्मीर और राजस्थान के सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तानी कितने पशु भगाकर अथवा चोरी करके ले गये; और

(ख) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू व काश्मीर तथा राजस्थान सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, 1 जनवरी 1966 से 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि के दौरान पाकिस्तानियों द्वारा हांक कर अथवा चुराकर ले जाये गये ढोरों की संख्या 15,583 है । सीमा वाहरी चौकियों द्वारा दर्ज किये गये मामलों के